सत्यमेव जयते

PPVFRA

# किसान प्रशिक्षण-सह-जागरूकता कार्यक्रम
# आरवीएसकेवीवी, ग्वालियर में 7 जून, 2023 को आयोजित

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्व विद्यालय (आरवीएसकेवीवी) ग्वालियर, मध्य प्रदेश के सहयोग से 7 जून, 2023 को दत्तोपंत ठेंगेड़ी सभागार में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 पर एक प्रशिक्षण-सह-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया । डॉ. टी. महापात्र, अध्यक्ष, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। डॉ. महापात्र, पीपीवीएफआरए ने उद्घाटन भाषण में भू-प्रजातियों, उनके संरक्षण और किसानों की किस्मों के पंजीकरण के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय डॉ. अरविंद कुमार शुक्ला, कुलपति, आरवीएसकेवीवी ने भी की, जिन्होंने राज्य के किसानों की किस्मों और पीपीवीएफआर अधिनियम, 2001 पर ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता के बारे में बात की, जिन्हें कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से नियमित रूप से आयोजित किया जाना चाहिए। डॉ. आर.सी. अग्रवाल, उपमहानिदेशक (शिक्षा), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और पूर्व रजिस्ट्रार-जनरल, पीपीवीएफआरए, नई दिल्ली ने ऐसे किसानों के जागरूकता कार्यक्रमों के सफल आयोजन का वर्णन किया और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के संदर्भ में अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर प्रकाश डाला।

डॉ. रवि प्रकाश ने पीपीवीएफआर अधिनियम, 2001 में किसानों के अधिकारों के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से बताया। कार्यक्रम में 200 से अधिक किसानों और मध्य प्रदेश के कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुखों/प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कृषि विज्ञान केंद्र प्रतिनिधियों और किसानों को शामिल करते हुए एक जीवंत संवाद सत्र आयोजित किया गया। विशेषज्ञों ने सभी प्रश्नों का जवाब दिया और सभी चिंताओं को दूर किया। चर्चा के आधार पर, किसानों की किस्मों के तेजी से पंजीकरण, कृषि विज्ञान केंद्र और विश्वविद्यालय के माध्यम से किसानों के अधिक आवेदन जमा करने, किसानों के अधिकारों के बारे में कृषि विज्ञान केंद्र वैज्ञानिकों के संपर्क और संवेदीकरण आदि के संबंध में कार्रवाई बिंदु तय किए गए।

अनुसंधान निदेशक, विस्तार निदेशक, कुलसचिव और विश्वविद्यालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ श्री आरएस सेंगर, उप रजिस्ट्रार, पीपीवीएफआरए, नई दिल्ली भी उपस्थित थे।

*****